भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *265
दिनांक 16.12.2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

तटीय क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था

*265. **श्री मद्दीला गुरूमूर्ति:**

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के तटीय क्षेत्रों में पेयजल मुहैया कराने के लिए कोई कार्य योजना बनाई है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) आंध्र प्रदेश में नेल्लौर तथा चित्तूर जिलों में पेयजल समस्या से ग्रस्त सरकार द्वारा चिह्नित की गई ग्राम पंचायतों की संख्या से संबंधित ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या नेल्लौर तथा चित्तूर जिले में पेयजल मुहैया कराने के लिए कोई कार्य योजना बनाई गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री
(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 16.12.2021 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 265 के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख): वर्ष 2024 तक देश में तटीय क्षेत्रों सहित प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पीने योग्य नल जल आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए, अगस्त, 2019 से, भारत सरकार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी में जल जीवन मिशन (जेजेएम) का कार्यान्वयन कर रही है। प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल जल आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अंतिम रूप प्रदान की गई वर्ष-वार समय-सीमा निम्नवत है:

2020	2021	2022	2023	2024
गोवा	तेलंगाना बिहार पुदुचेरी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह दादरा एवं नगर हवेली और दमण एवं दीव	गुजरात हिमाचल प्रदेश हरियाणा उत्तराखंड लद्दाख मणिपुर मेघालय पंजाब सिक्किम जम्मू एवं कश्मीर	अरुणाचल प्रदेश छत्तीसगढ़ कर्नाटक केरल मध्य प्रदेश मिजोरम नागालैंड तमिलनाडु त्रिपुरा	असम आंध्र प्रदेश झारखंड महाराष्ट्र ओडिशा राजस्थान उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल

गोवा, तेलंगाना, हरियाणा, पुदुचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दादरा एवं नगर हवेली और दमण एवं दीव में सभी ग्रामीण परिवारों के लिए नल जल आपूर्ति उपलब्ध करा दी गई है।

(ग) और (घ): आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा सूचित किए अनुसार, दिनांक 15 अगस्त, 2019 को जल जीवन मिशन (जेजेएम) की घोषणा के समय, नेल्लौर जिले में 2.81 लाख (49%) ग्रामीण परिवारों के लिए नल जल कनेक्शन उपलब्ध थे। तब से अब तक 1.16 लाख से अधिक परिवारों को नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। दिनांक 12.12.2021 की स्थिति के अनुसार, जिले में 5.70 लाख ग्रामीण परिवारों में से 3.97 लाख (69%) परिवारों को नल जल आपूर्ति उपलब्ध करा दी गई है। इसके अतिरिक्त, जिले में 947 ग्राम पंचायतों (जीपी) में से, 87 ग्राम पंचायतों ने 'हर घर जल' का दर्जा प्राप्त कर लिया है अर्थात ग्राम पंचायत के सभी घरों को नल जल आपूर्ति उपलब्ध करा दी गई है।

इसी प्रकार, चित्तूर जिले में, दिनांक 15 अगस्त, 2019 की स्थिति के अनुसार, 4.61 लाख (56%) ग्रामीण परिवारों में नल जल कनेक्शन उपलब्ध थे। तब से अब तक, 1.95 लाख से अधिक परिवारों को नल जल कनेक्शन उपलब्ध करा दिए गए हैं। दिनांक 12.12.2021 की स्थिति के अनुसार, चित्तूर जिले में कुल 8.27 लाख ग्रामीण परिवारों में से, 6.57 लाख (79%) परिवारों में नल जल की आपूर्ति उपलब्ध करा दी गई है। इसके अतिरिक्त, जिले में 1,426 ग्राम पंचायतों में से 461 ग्राम पंचायतों ने 'हर घर जल' का दर्जा प्राप्त कर लिया है।

आंध्र प्रदेश राज्य ने सभी शेष परिवारों को वर्ष 2024 तक नल जल आपूर्ति उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के तहत स्थिति तथा प्रगति से संबंधित विस्तृत सूचना जेजेएम-डैशबोर्ड पर पब्लिक डॉमेन में है और निम्न लिंक पर उपलब्ध है:

https://ejalshakti.gov.in/jjmreport/JJMIndia.aspx

***